प्रेस विज्ञप्ति

छात्रों की समस्याओं के निपटारे के लिए यू0पी0टी0यू0 लगायेगा कैम्प

परीक्षा समिति की बैठक में आज लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

लम्बे समय से परीक्षाफल, डिग्री आदि को लेकर विभिन्न समस्याओं से पीड़ित छात्रों की समस्या समाधान के लिए उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा एक वृहत कैम्प लगाया जायेगा। आज विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।

परीक्षा परिणामों को लेकर विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र समस्याओं से पीड़ित हैं और कालेज–विश्वविद्यालय के मध्य दौड़ लगाकर थक चुके हैं। ऐसे छात्रों की सुविधा के लिए दिनांक 10 सितम्बर, 2015 से एक वृहद कैम्प का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है जो कि 7 अक्टूबर, 2015 तक चलेगा। कैम्प में संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहकर अपने यहाँ के छात्रों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही करायेंगे।

नोएडा के संस्थानों के लिये 10 से 12 सितम्बर, ग्रेटर नोएडा के संस्थानों के लिए 13 से 15 सितम्बर, गाजियाबाद–बुलन्दशहर के 16, 18 एवं 19 सितम्बर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के लिए 20 से 22 सितम्बर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सिकोहाबाद के लिए 23 से 24 एवं 26 सितम्बर, कानपुर, इटावा, झांसी, उन्नाव, फतेहपुर के लिए 27 से 29 सितम्बर, इलाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर के लिए 30 सितम्बर से 1 एवं 3 अक्टूबर, बरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, फैजाबाद के लिए 4 से 6 अक्टूबर और लखनऊ एवं शेष जिलों के लिए 5 से 7 अक्टूबर तक कैम्प चलेगा।

जिन छात्रों के सेशनल और प्रैटिकल के अंक नहीं चढ़े हैं उनके लिए संस्थान निदेशक द्वारा सत्यापित डाटा सीट लेकर आनी होगी। अनुपस्थित दिखाये गये छात्रों की अटेन्डेन्स सीट के साथ आना होगा। मार्कसीट अथवा डिग्री की समस्याओं के निपटारे के लिये निर्धारित प्रारूप पर सूचना भरकर लानी होगी।

उपस्थिति में कमी के कारण परीक्षा से रोके गये छात्रों के लिए कोई सुविधा दिये जाने समिति से समिति द्वारा इनकार कर दिया गया है। समिति ने निर्णय लिया है कि भविष्य में कोई भी संस्थान ऐसे डिटेन्ड विद्यार्थियों के लिये छूट प्रदान करने का अनुरोध विश्वविद्यालय से नहीं करेगा अन्यथा संस्थान पर 1 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। प्रियदर्शनी कालेज के एक छात्र को दूसरी ब्रांच में प्रवेश दिये जाने के मामले में संस्थान को दोषी मानते

(आशीष मिश्र)

हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के मामलों में कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाय।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत आने वाले विकलांग छात्रों के लिये प्रश्नपत्र की कुल समय सीमा का 20 प्रतिशत अतिरिक्त समय दिया जायेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के फेल छात्रों के लिये आयोजित की जा रही विशेष परीक्षा के कार्यक्रम पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि बी.टेक. उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 7 वर्ष की समय सीमा तक पहुँच चुके फेल छात्रों को एक वर्ष का एक और मौका दे दिया जाय। समिति ने इस पर स्पष्ट मना करते हुए अधिकतम 7 वर्ष के बाद कोई और मौका ना दिये जाने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय के छात्रों की सुविधा के लिये परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर माह तक क्वैश्चन बैंक तैयार कर लिया जाय, इसके लिये डीन (स्नातक अध्ययन) को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विश्वविद्यालय के परास्नातक स्तर की परीक्षाओं में ऑनलाइन मूल्यांकन किये जाने की व्यवस्था के लिए परीक्षा नियंत्रक को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिये अधिकृत किया गया है। परीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने की तथा इसमें कुलसचिव श्री के0के0 चौधरी, सभी डीन एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

(आशीष मिश्र) 9/9/15

पेज-2